

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 20TH August, 1997.

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

New Delhi the 20th August, 1997.

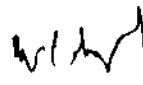
NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification number S.O.No. 92(E) dated the 7th February, 1997 issued under clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified the scheme of construction of building for Cobalt Therapy Unit at M.B.S. Hospital Campus, Kota, Rajasthan, of The Kota Cancer Society, Kota, Rajasthan, as an eligible project or scheme for a period of one year in relation to Assessment Year 1997-98;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond one year;

AND WHEREAS the National Committee satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of one year in 1998-99;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme of Construction of building for Cobalt Therapy Unit at M.B.S. Hospital Campus, Kota, Rajasthan, of The Kota Cancer Society, 196, Civil Lines, Opposite M.B.S. Hospital, Kota-324001, Rajasthan, at an estimated cost of rupees fifteen lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of one year in relation to assessment year 1998-99.



(V.K. SEHGAL)
Deputy Secretary to the Government of India

No. 10398
F.No. NC-79/97

भारत के राजपत्र अध्याकरण भाग-II के खण्ड 3, उपखण्ड 1111 में
दिनांक 20 अगस्त 1997 को प्रकाशित ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
[राजस्व विभाग]

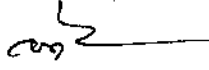
नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 1997

अधिसूचना

सं० 1301 आयकर अधिनियम 1961 [1961 का 43] की धारा 35 क म के स्पष्टीकरण के खण्ड 1ख के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 7 फरवरी, 1997 की अधिसूचना सं० सं० 921301 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने कोटा केसर सोसायटी कोटा राजस्थान के एम०बी०एस० अस्पताल परिसर की कोबाल्ट थैपी इकाई के भवन निर्माण की रकम को कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा रकम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था ; और उक्त परियोजना अथवा रकम एक वर्ष से अधिक की अवधि तक चलने की संभावना है ।

और राष्ट्रीय समिति यह समाधान हो जाने पर की उपर्युक्त परियोजना अथवा रकम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर विधेयक 1962 के नियम 115 के उप नियम 151 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा रकम को एक और वर्ष तक की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ।

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 [1961 का 43] की धारा 35 क म के स्पष्टीकरण के खण्ड 1ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतद्वारा कोटा केसर सोसायटी 196 सिविल लाइन्स सामने एम०बी०एस० अस्पताल कोटा-324001 के एम०बी०एस० अस्पताल परिसर, कोटा राजस्थान स्थित कोबाल्ट थेरेपी यूनिट के लिए भवन निर्माण की रकम को केवल 15 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर कर निर्धारण वर्ष 1998-99 के संबंध में एक और वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा रकम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।


[दी०के० सहगल]
उप सचिव, भारत सरकार

सं० 10398
फा०सं० एम०बी०-79/97